न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या – अपील नं0 2017/00373 (118/2017) 223 आरटीएक्ट

मूर्ति कौर उर्फ गुरप्रीतकौर पुत्री सरजीतसिंह उर्फ जीत सिंह पुत्र चन्द सिंह पत्नि इकबाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ – अपीलान्ट

बनाम

1. बगडसिंह पुत्र मल सिंह जाति जटसिख नि0 मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ
2. मलसिंह पुत्र चन्द सिंह जाति जटसिख नि0 मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ
3. बलवन्तकौर पत्नि मलकियतसिंह जाति जटसिख नि0 मुण्डा तह0 व जिला हनुमानगढ
4. बलकरणसिंह पुत्र मलकियतसिंह जाति जटसिख नि0 मुण्डा तह0 व जिला हनुमानगढ
5. जसवीर सिंह पुत्र मलकियतसिंह जाति जटसिख नि0 मुण्डा तह0 व जिला हनुमानगढ
6. सुखप्रीतकौर पुत्री मलकियतसिंह पत्नि सुखराज सिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
7. सुखदीपकौर पुत्री मलकियत सिंह पत्नि सुखपाल सिंह जाति जटसिख निवासी मसीतां तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
8. रणजीतसिंह पुत्र चन्द सिंह जाति जटसिख नि0 मुण्डा तह0 व जिला हनुमानगढ
9. दीपकौर उर्फ दलीप कौर पुत्री चन्द सिंह पत्नि जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी सलेमगढ तहसील अनूपगढ जिला श्री गगानगर
10. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी
11. तहसीदार (राजस्व) हनुमानगढ जिला हनुमानगढ – रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनाक 26.09.2016 द्वारा सहायक कलैक्टर, हनुमानगढ प्र. सं. 254/2012 बअनवानी बगडसिंह बनाम चन्दसिंह आदि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

श्री सोहन लाल सहारण अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री राजेश दीपराय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक – 23.12.2019

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांटा ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि प्रतिवादीसंख्या 1 वादी का दादा है वादी के परदादा राजूसिंह के पास तहसील संगरिया में लगभग 100 बीघा भूमि थी जिसमे से वादी के दादा को 20 बीघा भूमि प्राप्त हुई। वादी के दादा ने उक्त भूमि विक्रय कर तहसील हनुमानगढ के चक नं0 6 एम डी ए में 8.477 हैक्टयर व चक 6 एम डी बी में 2.405 हैक्टयर व तहसील टिब्बी के चक 2 एम डी में 3.289 हैक्टयर कुल 14.171 हैक्टयर भूमि खरीद की। वादी के दादा वृद्व है अपना भला बुरा समझने मे असमर्थ है व वादी के दादा अपने पुत्रों के जैरअसर आकर उक्त भूमि को खुद बुर्द करने पर आमादा है उक्त भूमि जद्दी जायदाद है जिसमें वादी का जन्म से अधिकार है। अतः वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर वादी को प्रश्नगत् भूमि के 1/4 हिस्सा में 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार घोषित किया जावे व अच्छी मंदी के अनुसार खाता विभाजन कर अलग से खाता व रकम कायम की जावे तथा शाश्वत् व्यादेश जारी किया जावे। प्रतिवादी संख्या 2 मल सिंह ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत् भूमि का बाहमी विभाजन हुआ है व वाहमी विभाजन में प्रतिवादी संख्या 2 को जवाब दावा की चरण संख्या 3 मे वर्णित भूमि प्राप्त हुई है अतः बाहमी बंटवारा अनुसार उसका खाता अलग कायम किया जावे। प्रतिवादी संख्या 4 व 7 ने उपस्थित होकर जवाब दावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत किया व वाद के तथ्यों को इन्कार करते हुए प्रश्नगंत् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की स्वंय पैदाकर्दा सम्पति होने के कथन किये उक्त भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 1 ने एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा करवाया हुआ है व वसीयनामा के अनुसार चन्द सिंह के वारिसान काबिज होकर काश्त करते आ रहे है व इसी अनुसार खाता अलग किये जावे। दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 1 चन्द सिंह की मृत्यु हो गई। अपीलांटा ने उक्त वाद में पक्षकार बनने हेतू आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जो बाद सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.09.2014 को निरस्त किया गया। तत्पश्चात पक्षकरान ने दिनांक 14.09.2016 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजीनामा प्रस्तुत किया व अधीनस्थ न्यायालय ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

मुताबिक राजीनामा वाद–पत्र वादी डिक्री किये जाने के आदेश दिये गये। अधिनस्थ न्याालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार प्रस्तुत की गई।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत् भूमि पैतृक सम्पति होने के कथनों के साथ वाद–पत्र प्रस्तुत किया गया है चूंकि प्रश्नगत् भूमि पैतृक सम्पति है जिसे वादी ने अपने वाद–पत्र व प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने जवाब दावा में स्वीकार भी किया है व पैतृक सम्पति होने के अपीलांट का इस भूमि में प्रत्यक्ष हित निहित है क्योकि अपीलांटा स्व0 चन्दसिंह के पुत्र की पुत्री है अर्थात चन्द की पौती है व प्रश्नगत् भूमि में अपीलांट का जन्म से हक व अधिकार है। प्रश्नगत् भूमि पैतृक सम्पति है इसलिए ने तो पैतृक सम्पति की वसीयत करने का स्व0 चन्द सिंह को अधिकार था व न ही ऐसी वसीयत के आधार पर राजस्व रिकार्ड में प्रवष्टियां की जा सकती है। अपीलांटा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनने हेतू प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया व उक्त निर्णय के विरूद्व अपीलांट ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की हुई है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय को इस प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही स्थगित की हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के कार्यवाही स्थगित के निर्णय से बाहर जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो कतई गलत है व अपीलांट उक्त निर्णय से स्पष्ट रूप प्रभावित है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक स्थिति को समझे बिना व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित कार्यवाही स्थगित के आदेश को दरकिनार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जावे। वकील अपीलांट ने अपने बहक के समर्थन में आर आर डी 2017 पेज 588 पर प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की प्रतियां प्रस्तुत की।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडैन्ट कथन किये कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया था उसमे प्रश्नगत् भूमि पैतृक सम्पति होने के कथन किये गये थे जबकि वास्तव में प्रश्नगत् भूमि पैतृक सम्पति न होकर चन्द सिंह की स्वयंपैदा कर्दा सम्पति थी व प्रश्नगत् समस्त भूमि की वसीयत चन्द सिंह ने अपने जीवन काल में कर दी व उक्त वसीयत में प्रश्नगत् भूमि का बंटवारा भी कर दिया

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

गया था जिसे वादी ने राजीनामा में स्वीकार किया है। प्रश्नगत् भूमि चन्द सिंह की स्वयं पैदाकर्दा भूमि थी जिसकी वसीयत करने का चन्द सिंह को पूर्ण अधिकार था व चन्द सिंह ने अपने अधिकारों के तहत प्रश्नगत् भूमि की वसीयत की है व वसीयत का निष्पादन हो जाने के बाद प्रश्नगत् भूमि में अपीलांट का कोई हक निहित नही रहता है, अपीलांट को उक्त अपील प्रस्तुत करने की ही अधिकारीता हासिल नही है व न ही अपीलांट का प्रश्नगत् भूमि में किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार है। इसके अलावा अपीलांट चन्द सिंह की वारिस न होकर मलकीत सिंह की वारिस है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के सभी पक्षकारान द्वारा विधिनुसार राजीनामा प्रस्तुत किया गया था व माननीय न्यायालय ने बाद जांच राजीनामा तस्दीक कर बाद सुनवाई राजीनामा के आधार पर वाद–पत्र डिक्री किया गया है जो पूर्णतयः विधिनुसार है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही है अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडैन्ट संख्या 1 बगड सिंह द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत कर प्रश्नगत् भूमि पैतृक सम्पति होने के कथन किये गये थे तथा साथ ही यह भी कथन किये गये थे कि भूमि पैतृक सम्पति होने के कारण वादी का प्रश्नगत् भूमि में हक निहित है, जबकि प्रतिवादी संख्या 4 व 7 ने उपस्थित होकर कथन किये कि प्रश्नगत् भूमि पैतृक सम्पति न होकर चन्द सिंह की स्वयं पैदाकर्दा सम्पति है व चन्द सिंह ने अपने जीवन काल में ही अपनी उक्त भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 6.07.2009 को अपने तीनो पुत्रों व एक पुत्री के पक्ष में बहिस्सा बराबर की। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद वादी/रेस्पोडैन्ट संख्या 1 बग्गड सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया था व बाद में बग्गड सिंह ने जरिये राजीनामा प्रश्नगत् भूमि चन्द सिंह की स्वयं पैदाकर्दा सम्पति होना स्वीकार किया गया है व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त राजीनामा के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है। **अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वसीयतनामा जो एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है व स्वयं चन्द सिंह द्वारा निष्पादित हैं। चन्द सिंह द्वारा निष्पादित वसीयतनामा रजिस्टर्ड दस्तावेज है तथा इसी रजिस्टर्ड दस्तावेज व राजीनामा के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई।** ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय व डिक्री में कोई त्रुटि होना नही पाया जाता तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 26.09.2016 यथावत् रखे जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है व उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.09.2016 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायायल का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

(आशाराम डूडी आर..ए.एस)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास आशाराम डूडी आर0ए0एस0

अपील संख्या – अपील नं0 2017/00373 (118/2017) 223 आरटीएक्ट

मूर्ति कौर उर्फ गुरप्रीतकौर पुत्री सरजीतसिंह उर्फ जीत सिंह पुत्र चन्द सिंह पत्नि इकबाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

– अपीलान्ट

बनाम

1. बगडसिंह पुत्र मल सिंह जाति जटसिख नि0 मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ
2. मलसिंह पुत्र चन्द सिंह जाति जटसिख नि0 मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ
3. बलवन्तकौर पत्नि मलकियतसिंह जाति जटसिख नि0 मुण्डा तह0 व जिला हनुमानगढ
4. बलकरणसिंह पुत्र मलकियतसिंह जाति जटसिख नि0 मुण्डा तह0 व जिला हनुमानगढ
5. जसवीर सिंह पुत्र मलकियतसिंह जाति जटसिख नि0 मुण्डा तह0 व जिला हनुमानगढ
6. सुखप्रीतकौर पुत्री मलकियतसिंह पत्नि सुखराज सिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
7. सुखदीपकौर पुत्री मलकियत सिंह पत्नि सुखपाल सिंह जाति जटसिख निवासी मसीतां तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
8. रणजीतसिंह पुत्र चन्द सिंह जाति जटसिख नि0 मुण्डा तह0 व जिला हनुमानगढ
9. दीपकौर उर्फ दलीप कौर पुत्री चन्द सिंह पत्नि जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी सलेमगढ तहसील अनूपगढ जिला श्री गगानगर
10. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी
11. तहसीदार (राजस्व) हनुमानगढ जिला हनुमानगढ

– रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनाक 26.09.2016 द्वारा सहायक कलैक्टर, हनुमानगढ प्र. सं. 254/2012 बअनवानी बगडसिंह बनाम चन्दसिंह आदि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

आज यह अपील रूबरू हाजिर, श्री सोहन लाल सहारण अधिवक्ता अपीलाण्ट, श्री राजेश दीपराय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता, की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है व उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.09.2016 यथावत रखा जाता है।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 23.12.2019 को जारी की गई।

(आशाराम डूडी) आर. ए. एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.01.10 12:58:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: